Avadhesh Kumar Verma
Chairman
Member - World Energy Council (WEC) London
Member - International Council On Large Electric System (Cigre) France
Member - State Advisory Committee (UPERC)
Member - Quality Control Standing Committee (UPERC)
Member -Energy Conservation Committee (UPPCL)
Member -Electricity Supply Code Review Panel (UPERC)
Chairman –National Electricity Consumer Coordination Committee
Member- Central Advisory Committee (CAC)-(CERC)

उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद
U.P Rajya vidyut Upbhokta Parishad
(UPERC awarded Best Consumer
Organization InThe State Power Sector)
(Governed by: UPECWS)
A-1391/7, Indira Nager, Lucknow(U.P.)
Mobile -9839011795-9415516317
e-mail : uprvup22 @ gmail.com

Ref. No.: 116-adani– uperc-2026 **Date: 16.10.2026**

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC),
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विषय: नोएडा डेटा सेंटर पार्क में **Adani Energy Solutions Step Eleven Limited (AESSEL)** को समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में वित्तीय क्षमता, तकनीकी योजना, लाइसेंस की पात्रता एवं विद्युत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आपत्तियाँ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से नोएडा डेटा सेंटर पार्क, प्लॉट संख्या 20, सेक्टर-62, नोएडा स्थित क्षेत्र में **Adani Energy Solutions Step Eleven Limited (AESSEL)** द्वारा प्रस्तुत समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस संबंधी याचिका के संदर्भ में उपभोक्ता हितों एवं नियामकीय प्रावधानों के दृष्टिगत निम्नलिखित महत्वपूर्ण आपत्तियाँ एवं सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 एवं 15, लागू वितरण लाइसेंस विनियमों तथा पूंजी पर्याप्तता, साख एवं आचरण संबंधी नियमों के अंतर्गत किसी भी आवेदक को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व उसकी वास्तविक वित्तीय क्षमता, तकनीकी योग्यता, पूंजी निवेश की उपलब्धता तथा उपभोक्ता हितों पर पड़ने वाले प्रभाव का निष्पक्ष परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

अतः आयोग से अनुरोध है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर समुचित विचार करते हुए ही लाइसेंस के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया जाए।

वितरण लाइसेंस आवेदन पर प्रमुख आपत्तियाँ

शासनादेश दिनांक 30 जून 2022 की शर्तों का अनुपालन:

मेसर्स अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सेक्टर-62, नोएडा में 50 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर पार्क हेतु वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन सशर्त स्वीकृत किए गए थे। शासनादेश की शर्त V के अनुसार, 27 जनवरी 2026 तक निवेश करना तथा इसी अवधि में व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करना आवश्यक था। अतः इन दोनों शर्तों के अनुपालन के प्रमाण प्रस्तुत कराए जाएँ।

लाइसेंस आवेदक की पात्रता स्पष्ट हो:

वर्तमान आवेदन **Adani Energy Solutions Step-Eleven Limited (AESSEL)** एवं **Adani Energy Solutions Limited** के नाम से समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस हेतु है, जबकि उक्त शासनादेश में लाभार्थी के रूप में **Adani Enterprises Limited** का उल्लेख है।

तीनों कंपनियों की अलग-अलग कानूनी पहचान को देखते हुए यह स्पष्ट किया जाए कि शासनादेश की स्वीकृति और प्रोत्साहन वर्तमान आवेदक कंपनी को किस वैधानिक आधार पर लागू होते हैं।

लाइसेंस और परियोजना की स्वीकृतियों का सत्यापन: शासनादेश में सभी लागू कानूनों का अनुपालन तथा संबंधित विभागों एवं प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः नोएडा प्राधिकरण, शासन एवं संबंधित विभागों से प्रमाणित अभिलेख प्राप्त किए बिना समानांतर वितरण लाइसेंस स्वीकृत न किया जाए।

1. आवेदक कंपनी की स्वतंत्र वित्तीय क्षमता का सत्यापन आवश्यक

लाइसेंस की मांग **AESSEL** द्वारा की गई है, जबकि उपलब्ध विवरण के अनुसार वित्तीय क्षमता, नेटवर्थ, संसाधन सृजन एवं साख संबंधी आकलन में मुख्य रूप से मूल कंपनी **Adani Energy Solutions Limited (AESL)** के वित्तीय आंकड़ों का सहारा लिया गया है। आयोग यह सुनिश्चित करे कि आवेदक कंपनी स्वयं लागू नियमों के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय पात्रता पूरी करती है अथवा नहीं। केवल समूह की किसी

अन्य कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर आवेदक की पात्रता स्वीकार न की जाए।

2. मूल कंपनी की वित्तीय गारंटी एवं बाध्यकारी प्रतिबद्धता स्पष्ट हो

यदि आवेदक अपनी वित्तीय क्षमता के समर्थन में मूल कंपनी के संसाधनों पर निर्भर है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि मूल कंपनी की सहायता विधिक रूप से बाध्यकारी, पर्याप्त एवं लाइसेंस अवधि के लिए विश्वसनीय है। इस संबंध में आवश्यक गारंटी, बोर्ड संकल्प, वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सहायता की शर्तों का परीक्षण कराया जाए।

3. ₹211.10 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और इक्विटी व्यवस्था की जांच हो

प्रस्तावित निवेश लगभग ₹211.10 करोड़ बताया गया है, जबकि उपलब्ध विवरण में ₹63.33 करोड़ की इक्विटी आवश्यकता के साथ न्यूनतम ₹16.47 करोड़ के प्रारंभिक निवेश का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में शेष इक्विटी की व्यवस्था, उसके निश्चित स्रोत, निवेश की समय-सीमा और उपलब्ध धनराशि के प्रमाण स्पष्ट किए जाएँ। भविष्य में जुटाई जाने वाली संभावित पूंजी को वर्तमान में उपलब्ध पूंजी के समान नहीं माना जाना चाहिए।

4. बाहरी निवेश एवं शेयरधारिता में संभावित बदलावों की जांच हो

आवेदक द्वारा शेष इक्विटी जुटाने के लिए बाहरी निवेश तथा मूल कंपनी की हिस्सेदारी में संभावित कमी की व्यवस्था का उल्लेख किए जाने की स्थिति में

प्रस्तावित स्वामित्व संरचना, वास्तविक नियंत्रण और वित्तीय जवाबदेही पर इसके प्रभावों का परीक्षण आवश्यक है। आयोग यह सुनिश्चित करे कि लाइसेंस प्रदान किए जाने के बाद स्वामित्व अथवा नियंत्रण में बदलाव से उपभोक्ताओं के हित प्रभावित न हों तथा लागू नियमों के अंतर्गत आवश्यक पूर्व स्वीकृतियाँ प्राप्त की जाएँ।

5. अन्य परियोजनाओं की निवेश प्रतिबद्धताओं का स्वतंत्र सत्यापन हो

अन्य क्षेत्रों में लगभग ₹1,00,711 करोड़ के निवेश तथा ₹7,855.46 करोड़ की समायोजित इक्विटी प्रतिबद्धता से संबंधित गणनाओं के आधार, वास्तविक दायित्वों, पहले से किए गए निवेश और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि संभावित निवेश, अनुमानित वित्तीय क्षमता और वास्तविक रूप से उपलब्ध पूंजी के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है।

6. पूर्ण बिजनेस प्लान लाइसेंस से पहले प्रस्तुत कराया जाए

यदि आवेदक ने लाइसेंस प्रभावी होने के तीन महीने के भीतर विस्तृत बिजनेस प्लान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया है, तो इससे तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा लाइसेंस दिए जाने के बाद के लिए स्थगित हो सकता है। आयोग से अनुरोध है कि नेटवर्क विकास, पूंजीगत व्यय, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता सेवा, मीटरिंग, बिलिंग, शिकायत निस्तारण और आपातकालीन आपूर्ति से संबंधित विस्तृत योजना पर लाइसेंस देने से पूर्व पर्याप्त विचार किया जाए।

7. 11 केवी नेटवर्क के विकास एवं लागत की जिम्मेदारी स्पष्ट हो

प्रस्तावित व्यवस्था में वर्तमान खपत 33 केवी स्तर पर होने तथा भविष्य में 11 केवी नेटवर्क विकसित किए जाने की संभावना का उल्लेख है। अतः आवश्यक नेटवर्क की सीमा, तकनीकी विन्यास, निर्माण लागत, रखरखाव, विस्तार तथा संबंधित परिसंपत्तियों के स्वामित्व एवं उपयोग की शर्तें स्पष्ट की जाएँ। यह भी सुनिश्चित हो कि किसी प्रकार की लागत का अनुचित भार मौजूदा वितरण कंपनी या अन्य विद्युत उपभोक्ताओं पर न पड़े।

8. 0.5 प्रतिशत वितरण हानि के अनुमान का तकनीकी परीक्षण हो

आवेदक द्वारा 0.5 प्रतिशत वितरण हानि का अनुमान प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उसके तकनीकी आधार, प्रस्तावित वोल्टेज स्तर, मीटरिंग व्यवस्था, नेटवर्क संरचना

तथा बिजली खरीद और आपूर्ति के मापन की प्रणाली का परीक्षण कराया जाए। वितरण हानि के अनुमान को बिना पर्याप्त तकनीकी औचित्य के स्वीकार न किया जाए।

9. बिजली आपूर्ति लागत में प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य स्पष्ट हो

उपलब्ध वित्तीय अनुमानों के अनुसार औसत आपूर्ति लागत वर्ष 2027 में ₹6.53 प्रति यूनिट से बढ़कर वर्ष 2036 में ₹8.23 प्रति यूनिट तक पहुँचने का अनुमान है। आयोग बिजली खरीद दरों, दीर्घकालीन विद्युत आपूर्ति अनुबंधों, परिचालन व्यय, नेटवर्क लागत तथा अन्य वित्तीय मान्यताओं की जांच करे। यह भी स्पष्ट किया जाए कि प्रस्तावित लागत का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लागत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था होगी।

10. 15 प्रतिशत रिटर्न ऑन इक्विटी एवं अन्य वित्तीय मान्यताओं की समीक्षा हो

प्रस्तावित 15 प्रतिशत रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE), 9 प्रतिशत ऋण ब्याज दर तथा परिचालन व्यय से संबंधित मान्यताओं का लागू कानून एवं आयोग के विनियमों के अनुरूप परीक्षण किया जाए। किसी भी अनुमानित या अप्रमाणित लागत को स्वतः स्वीकार करके उसका भार उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति न दी जाए। किसी भी लागत अथवा रिटर्न का नियामकीय निर्धारण लागू प्रावधानों के अनुसार ही किया जाए।

11. लाइसेंस क्षेत्र की सीमा एवं मौजूदा वितरण लाइसेंसधारियों की स्थिति स्पष्ट हो

याचिका के प्रारंभिक विवरण में संबंधित क्षेत्र को नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) तथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के वितरण क्षेत्रों से संबंधित बताया गया था, जबकि बाद के विवरण में क्षेत्र को केवल PVVNL के वितरण क्षेत्र में स्थित बताया गया है। इस विरोधाभास का समाधान कराते हुए संबंधित भूमि, लाइसेंस क्षेत्र की सीमा, मौजूदा नेटवर्क तथा वर्तमान लाइसेंसधारी के अधिकारों की पुष्टि की जाए। स्पष्ट सीमांकन के बिना लाइसेंस क्षेत्र निर्धारित करना विवाद एवं उपभोक्ता असुविधा का कारण बन सकता है।

12. संशोधित दस्तावेजों एवं वित्तीय प्रमाणों की जांच कराई जाए

आयोग यह सुनिश्चित करे कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधित वित्तीय विवरण, बैंक प्रमाणपत्र, इक्विटी उपलब्धता के प्रमाण, नेटवर्क आरेख, तकनीकी अध्ययन, बिजनेस प्लान और अन्य आवश्यक दस्तावेज नियामकीय जांच के लिए उपलब्ध हों। प्रभावित पक्षों एवं उपभोक्ता हितधारकों को इन दस्तावेजों पर सार्थक आपत्ति दर्ज करने का उचित अवसर दिया जाए।

13. समानांतर वितरण लाइसेंस के उपभोक्ताओं पर प्रभाव का आकलन हो

प्रस्तावित लाइसेंस के कारण मौजूदा वितरण नेटवर्क के उपयोग, बिजली खरीद व्यवस्था, नेटवर्क विस्तार, लागत आवंटन और अन्य उपभोक्ताओं के हितों पर संभावित प्रभाव का समुचित आकलन किया जाना चाहिए। आयोग यह सुनिश्चित करे कि किसी विशेष उपभोक्ता समूह को वितरण विकल्प उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में मौजूदा उपभोक्ताओं पर अनुचित वित्तीय भार न पड़े तथा सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का नियमानुसार निर्धारण हो।

14. लाइसेंस की सभी वैधानिक पात्रताओं की पुष्टि के बाद ही निर्णय हो

आवेदक की पात्रता का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003, लागू वितरण लाइसेंस विनियमों, पूंजी पर्याप्तता एवं साख संबंधी नियमों तथा संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं के अनुरूप किया जाए। समूह कंपनी के रूप में संबद्धता अथवा भविष्य में पूंजी उपलब्ध कराने के आश्वासन को आवेदक की अनिवार्य वैधानिक पात्रताओं का विकल्प न माना जाए। प्रत्येक आवश्यक शर्त की पूर्ति दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

उपभोक्ता परिषद की प्रमुख मांगें

उपरोक्त तथ्यों एवं आपत्तियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद आयोग से निम्नलिखित मांग करती है:

AESSEL की स्वतंत्र वित्तीय क्षमता, नेटवर्थ, साख एवं पूंजी पर्याप्तता का लागू नियमों के अनुसार सत्यापन कराया जाए।

₹211.10 करोड़ के प्रस्तावित निवेश तथा ₹63.33 करोड़ की इक्विटी आवश्यकता के सापेक्ष वास्तविक रूप से उपलब्ध इक्विटी एवं शेष धनराशि के निश्चित स्रोतों की पुष्टि की जाए।
मूल कंपनी की वित्तीय सहायता एवं गारंटी की वैधानिक बाध्यकारी प्रकृति और पर्याप्तता का परीक्षण किया जाए।

लाइसेंस से पूर्व विस्तृत तकनीकी एवं व्यावसायिक योजना, नेटवर्क विकास की लागत, बिजली खरीद व्यवस्था और वितरण हानि के अनुमानों की जांच की जाए।

लाइसेंस क्षेत्र की सीमाओं तथा NPCL एवं PVVNL के मौजूदा वितरण क्षेत्रों के साथ उसके संबंध की स्पष्ट पुष्टि की जाए।

सभी संबंधित दस्तावेजों को नियमानुसार उपलब्ध कराकर प्रभावित पक्षों को आपत्तियाँ दर्ज करने का उचित अवसर दिया जाए।

जब तक सभी अनिवार्य वैधानिक शर्तों एवं उपभोक्ता हितों से जुड़े प्रश्नों का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता, तब तक लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय न लिया जाए।

विषय: AESSEL को नोएडा डेटा सेंटर पार्क में विद्युत वितरण लाइसेंस देने के पक्ष में प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता की कानूनी राय पर गंभीर विधिक आपत्तियाँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद, AESSEL के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय सेन द्वारा दिनांक 27.05.2026 को प्रस्तुत कानूनी राय के संबंध में निम्नलिखित गंभीर आपत्तियाँ दर्ज कराती है।

1. अनुबंध मात्र से लाइसेंस की पात्रता नहीं:
2. डेटा सेंटर डेवलपर के साथ अनुबंध कर किसी कंपनी को 'Associate' या 'Operator' नामित कर देना, विद्युत वितरण लाइसेंस प्राप्त करने की स्वतः पात्रता नहीं देता। विद्युत अधिनियम, 2003 तथा लागू नियामकीय विनियमों की सभी अनिवार्य शर्तों का पालन आवश्यक है।

2. वास्तविक नियंत्रण का प्रमाण आवश्यक:

कानूनी राय के पैराग्राफ 7, 11 एवं 14 में स्वयं स्वीकार किया गया है कि ऑपरेटर डेवलपर के नियंत्रण अथवा पर्यवेक्षण में होना चाहिए। अतः AESSEL और Data Centre Developer Noida Limited के बीच 05.12.2025 के अनुबंध की वास्तविक शर्तों और नियंत्रण व्यवस्था की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

3. सरकारी अधिसूचना का दायरा स्पष्ट किया जाए:
दिनांक 10.03.2023 की शासन अधिसूचना को सामान्य लाइसेंस पात्रता संबंधी शर्तों से छूट नहीं माना जा सकता, जब तक ऐसा स्पष्ट वैधानिक आधार उपलब्ध न हो। 'Associate' शब्द की व्यापक व्याख्या करके अनिवार्य नियामकीय शर्तों को निष्प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए।

4. आवेदक की वित्तीय क्षमता का स्वतंत्र परीक्षण हो:
AESSEL की वास्तविक नेटवर्थ, उपलब्ध इक्विटी, प्रस्तावित ₹211.10 करोड़ के निवेश, ₹63.33 करोड़ की इक्विटी आवश्यकता तथा मूल कंपनी की वित्तीय सहायता की बाध्यकारी प्रकृति का दस्तावेजी सत्यापन कराया जाए। समूह कंपनी की वित्तीय क्षमता को स्वतः आवेदक की पात्रता न माना जाए।

5. एकपक्षीय कानूनी राय निर्णायक प्रमाण नहीं:

प्रस्तुत राय AESSEL के पक्ष में एकपक्षीय आधार पर तैयार की गई है। इसे आयोग के स्वतंत्र नियामकीय परीक्षण का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तकनीकी योजना, नेटवर्क लागत और अन्य उपभोक्ताओं पर संभावित वित्तीय प्रभाव की भी जांच आवश्यक है।

उपभोक्ता परिषद की मांग

आयोग AESSEL की वैधानिक पात्रता, वास्तविक नियंत्रण व्यवस्था और स्वतंत्र वित्तीय क्षमता का निष्पक्ष परीक्षण कराए। परिषद को सभी संबंधित दस्तावेजों पर सुनवाई का अवसर दिया जाए तथा प्रत्येक प्रमुख आपत्ति पर कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। जब तक सभी अनिवार्य नियामकीय शर्तों की पूर्ति प्रमाणित नहीं होती, तब तक AESSEL को प्रस्तावित विद्युत वितरण लाइसेंस प्रदान न किया जाए।

निष्कर्ष

महोदय, विद्युत वितरण लाइसेंस प्रदान करना केवल किसी कंपनी की निवेश योजना को स्वीकार करने का विषय नहीं है, बल्कि यह विद्युत अधिनियम एवं

नियामकीय व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता हितों, वित्तीय जवाबदेही, तकनीकी विश्वसनीयता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। अतः आयोग से अपेक्षा है कि वह किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय लेते समय आवेदक की वास्तविक पात्रता एवं सभी वित्तीय-तकनीकी शर्तों का स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करेगा।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अनुरोध करती है कि उपर्युक्त आपत्तियों पर कारणयुक्त आदेश पारित करते हुए, सभी अनिवार्य पात्रताओं एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक AESSEL को प्रस्तावित समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस प्रदान न किया जाए।

16/10/2026

अवधेश कुमार वर्मा
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद
सदस्य – केंद्रीय सलाहकार समिति (CAC), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
सदस्य – राज्य सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC)
सदस्य – विद्युत आपूर्ति संहिता समीक्षा पैनल, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC)
ई-मेल: uprvup22@gmail.com